संख्या- 1116/2026/770/22-2-2026-17(339)/2026

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 लखनऊ, दिनांक 20 अगस्त,2026

विषयः- जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी पुष्पा पुत्री श्री श्यामलाल, निवासी जनपद- लखनऊ की सामान्य दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक वरिष्ठ अधीक्षक,(मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-13424/प्रोबे0-5-दया0 बैठक दिनांक 23-02-2026, दिनांक 07.04.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार सिद्धदोष महिला बन्दी पुष्पा पुत्री श्री श्यामलाल, जो कमालापुर, थाना-गोसाईगंज, जनपद-लखनऊ का निवासी है। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 02.03.2014 को 03 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर दहेज की मांग को लेकर बबली से मार पीट करने के कारण जहरीला पदार्थ निगल लेने से श्रीमती बबली की मृत्यु हो गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को एस०टी० नं०-930/2014, भा0द0वि0 की धारा-498ए, 304बी व 4 डी०पी० एक्ट के अन्तर्गत मा० न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या०-12, लखनऊ दण्डादेश दिनांक 30.05.2025 द्वारा 07 वर्ष का कारावास की सजा से दण्डित किया गया। महिला बन्दी द्वारा दिनांक 31.08.2025 तक अपरिहार 00 वर्ष, 03 माह, 15 दिन तथा सपरिहार 00 वर्ष, 03 माह, 29 दिन की सजा भोगी गयी है।

पुलिस उपायुक्त, लखनऊ द्वारा अपनी आख्या में अंकित किया गया है कि महिला बन्दी द्वारा कारित अपराध व्यक्ति विशेष तक सीमित अपराध की श्रेणी में होने, भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, जेल में और आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने, परिवार की सामाजिक, आर्थिक दशा समयपूर्व रिहाई उपयुक्त नहीं होने के दृष्टिगत रिहाई का विरोध करते हुए महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है तथा जिला मजिस्ट्रेट लखनऊ द्वारा पुलिस उपायुक्त, लखनऊ की आख्या से सहमत होते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

दयायाचिका समिति की आख्यानुसार दिनांक 31.08.2025 तक महिला बन्दी की आयु 30 वर्ष एवं मा० न्यायालय द्वारा प्रदत्त 07 वर्ष कारावास के सापेक्ष दिनांक 31.08.2025 तक अपरिहार 00 वर्ष, 03 माह 15 दिन तथा सपरिहार 00 वर्ष, 03 माह, 29 दिन की भोगी गयी सजा के सापेक्ष रिहा होने पर समाज में प्रतिकूल संदेश जाने, महिला बन्दी की स्वास्थ्य की दशा सामान्य होने तथा पुलिस उपायुक्त / जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत, सभी विन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त समिति द्वारा महिला बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष महिला बन्दी पुष्पा (बन्दी संख्या-383/2025) पुत्री श्री श्यामलाल, निवासी जनपद- लखनऊ की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

उक्त आदेश सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरांत निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या-1116/2026/770(1)/22-2-2026 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, जिला कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्य मंत्री जी के सूचनार्थ।
5- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभय कुमार त्रिपाठी
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।